ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 11 June 2020

प्रवासी श्रमिकों पर कोविड–19 का प्रभाव : एक विश्लेषण

*डॉ0 राहुल गुप्ता**
*डॉ0 पूर्णिमा मिश्रा***

ऐसे श्रमिक जो अपने मूल या पैतृक स्थान से कार्य की तलाश में देश के भीतर किसी अन्य स्थान पर अथवा विदेश जाते हैं, उन्हें प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। यद्यपि यह श्रमिक सशरीर तो किसी नगर या महानगर में रह रहे होते हैं तथा काम कर कर रहे होते हैं, परन्तु उनका मन या आत्मा उनके मूल निवास स्थान में ही वास करती है। इसीलिए ऐसे प्रवासी श्रमिकों का उनके मूल निवास स्थान से सम्पर्क टूटता नहीं है। वर्षपर्यन्त अत्यन्त चुनौतीपूर्ण व अनेक अवसरों पर ऐसे परिवेश में जहाँ स्वास्थ्य व स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब होती है, में रहने के बाद भी अपने घरों को वापस लौटने की इच्छा ही उन्हें जीवित रखती है। प्रवासी श्रमिकों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ समस्यायें सदैव खड़ी रहती हैं, परन्तु एक कुशल योद्धा की भाँति ये श्रमिक बड़ी ही सजगता से उनका सामना करते रहते हैं। परन्तु कोरोना नामक वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों ने इन कर्मभोगियों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ आर्थिक संकट तो दूसरी तरफ अपने परिवार से पुनः मिलने की उत्कट अभिलाषा के बीच झूलते प्रवासी श्रमिकों ने जिस प्रकार जीवन से संघर्ष किया है, उसकी कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है। यह दौर एक दुःस्वप्न की तरह बीत जाए तो ही अच्छा है परन्तु इस दौर ने यह सबक दे दिया है कि अनेक उद्योगों व सेवाओं के मेरूदण्ड के रूप में क्रियाशील इन मजदूरों के वर्तमान व भविष्य दोनो के विषय में गम्भीर सोच व कुशल क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इस हेतु एक दीर्घकालिक योजना व रणनीति बननी चाहिए। इन नीतियों के निर्माताओं को गांधी द्वारा बताए गए विभिन्न आदर्शों व कार्यक्रमों पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। इन्हीं सभी बिन्दुओं पर इस शोध पत्र में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है।

प्रमुख पद : प्रवासी श्रमिक, कोविड–19

कोरोना विषाणु (Corona Virus) के कारण उत्पन्न महामारी कोविड–19 (Covid-19) के कारण सम्पूर्ण विश्व इस सदी के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। इस विषाणु ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, यही कारण है कि विश्व के सर्वाधिक तथाकथित 'शक्तिशाली व विकसित' राष्ट्र भी इसके दुष्प्रभावों को झेल नहीं पा रहे हैं। इस विषाणु ने पूरे विश्व में कोहराम सा मचा दिया है, जिसके कारण सभी व्यवस्थाएँ छिन्न–भिन्न दिखायी दे रही हैं। यह महामारी ऐसी है जिससे विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गयी है तथा इसे पुनः पटरी पर लाने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया ही इस संकट से प्रभावित है ऐसे में भारत किस प्रकार इससे अछूता रह सकता है? 30 जनवरी 2020 को प्रथम कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने से लेकर आज तक यह महामारी बढ़ती ही जा रही है तथा किस प्रकार इससे छुटकारा मिलेगा? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस महामारी का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ा है परन्तु जो वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, वह है प्रवासी मजदूर (Migrant Worker)।

भारत में कोरोना संक्रमित पहला मामला तो 30 जनवरी 2020 को ही मिल गया था, परन्तु इस महामारी पर सरकार द्वारा सक्रिय भूमिका मार्च महीने के उत्तरार्द्ध से दृष्टिगोचर होने लगी। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तथा संक्रमण के प्रसार को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी लॉकडॉउन की शुरुआत 25 मार्च 2020 से हुई। स्पष्ट था कि लॉकडॉउन की अवधि में सभी गतिविधियाँ स्थगित रहेंगी तथा व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना–जाना भी पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। इस लॉकडॉउन के अनेकों लाभ थे परन्तु इसका सबसे बड़ा नुकसान नगरों व महानगरों के इन दिहाड़ी मजदूरों को उठाना पड़ा जिसे इस काल में प्रवासी मजदूर (Migrant Worker) कह कर सम्बोधित किया जाने लगा। सम्पूर्ण लॉकडॉउन की अवधि में जितने अकादमिक विमर्श हो रहे हैं उनमें प्रवासी मजदूर प्रमुखता से छाये रहे परन्तु दुभाग्यपूर्ण यह रहा है कि ये तथाकथित 'प्रवासी मजदूर' अकादमिक विमर्श व सैद्धान्तिक व्याख्याओं तक ही सीमित रह गये। जमीनी स्तर पर न तो इनकी आवश्यकताओं, समस्याओं आदि को समझा गया, न ही उसे सुलझाने हेतु कोई गम्भीर प्रयास हुए। अभी भी स्थिति में कोई आमूल–चूल परिवर्तन नहीं आया है, बस उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं के तात्कालिक व ऊपरी तौर पर समाधान ढूँढने का प्रयास किया जा रहा है। समाज विज्ञान के दृष्टि से इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? यह एक विचार का विषय भी है तथा इस सम्बन्ध में ठोस व कारगर रणनीति बनाकर उसे क्रियान्वित किए जाने के विषय में भी अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।

भारतीय परिदृश्य में यदि इस विषय पर विचार करें तो अनेक मुद्दे सामने आते हैं यथा– प्रवासी श्रमिक या मजदूर की परिभाषा क्या होनी चाहिए? अधिकाधिक प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार श्रम कानूनों के दायरे में लाना चाहिए ? प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए ? प्रवासी श्रमिकों के श्रमिक अधिकार कौन–कौन से होने चाहिए ? कोविड–19 की स्थिति में प्रवासी श्रमिकों की प्रमुख समस्याएँ कौन सी रही हैं ? देश के भीतर काम कर रहे प्रवासी श्रमिकोंको कोरोना संक्रमण

*असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
** असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, NTPC परिसर, शक्तिनगर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 11 June 2020

का वाहक किन परिस्थितियों में मान लिया गया ? क्या वास्तव में ऐसा था ? प्रवासी श्रमिकों पर इस प्रकार के लांछन या दोषारोपण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन लोग थे ? वे प्रवासी श्रमिक जिनके रोजगार छिन चुके हैं तथा वे अपने गृह जनपदों में वापस आ गये हैं, उनके लिए पुनर्सेवायोजन, उनके लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, उनके बेहतर स्वास्थ्य दशाओं हेतु प्रयास, प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किए गए या किए जाने वाले उपाय आदि। इन्हीं मुद्दों पर विमर्श कर तथा तदनुरूप क्या रणनीति होनी चाहिए ? इन्हीं मुद्दों को इस शोधपत्र में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसकी क्रमबद्ध प्रस्तुति अगले पृष्ठों में की जा रही है।

'प्रवासी श्रमिक' शब्द मूलतः अंग्रेजी भाषा के 'Migrant Labour का हिन्दी रूपान्तरण है। प्रवासी श्रमिक से आशय ऐसे श्रमिकों से है जो अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर कार्य की तलाश में नगरों या महानगरों में जाते हैं तथा उन्हीं स्थानों पर अस्थायी रूप से निवास करते हुए अपनी सेवायें देते हैं। यह श्रमिक प्रायः अकुशल या अर्द्धकुशल श्रेणी के होते हैं। श्रमिकों का यह प्रवास देश के बाहर व भीतर दोनों प्रकार का हो सकता है। भारत में अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ से बहुतायत की संख्या में श्रमिक न केवल विदेशों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी काम की तलाश में जाते हैं। यदि संख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, आदि राज्यों से दूसरे राज्यों में काम हेतु जाने वाले श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। एक 'प्रवासी श्रमिक' वह व्यक्ति होता है जो देश के भीतर या बाहर काम करने के लिए प्रवास करता है। कहीं–कहीं पर प्रवास के स्थान पर 'पलायन' शब्द का भी उपयोग किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की एक खासियत यह होती है कि आमतौर पर वे उस देश या शहर/महानगर में स्थायी रूप से निवास करने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं।

एक अनुमान के अनुसार भारत में ऐसे प्रवासी मजदूर जो अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर नगर व महानगर में जाकर असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं, की संख्या लगभग 12 करोड़ है। अपना गाँव या कस्बा छोड़कर अकुशल अथवा अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में कठिन श्रम करके परिवार का भरण–पोषण करने वाले मजदूरों के पास सुविधा के नाम पर प्रायः किराए की कोठरी (जो अन्य मजदूरों के साथ साझा की जाती है), साइकिल, रिक्शा या अधिक से अधिक मोटरसाइकिल तथा आजकल एक मोबाइल फोन होता है। इनकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि वे अपना शौक पूरा कर सकें बल्कि ये तो जो भी सामान खरीदते हैं वे अपने रोजगार की जरूरतों को ध्यान में रखकर खरीदते हैं।

नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा प्रकाशित आँकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 32 करोड़ 60 लाख आन्तरिक प्रवासी श्रमिक हैं। इनमें से अधिकांश संख्या मौसमी रोजगार (Seasonal Employment) के कारण प्रवास करने वाले श्रमिकों की है, यथा किसी चीनी मिल में गन्ना पेराई के समय अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे मिलों में अनेकों श्रमिकों को मात्र उसी अवधि के लिए रोजगार प्राप्त होता है। गन्ना पेराई का मौसम (Season) पूरा होते ही उन श्रमिकों की 'घर वापसी' हो जाती है। ऐसे में अधिकांश मजदूर आस–पास के ही जिलों के होते हैं। इस तरह के श्रमिकों की संख्या लगभग 20 करोड़ की है जबकि लगभग 12 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। 2017 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का अनुमान था कि विश्व भर में लगभग 258 मिलियन अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी थे जो कम से कम 12 महीनों के लिए अपने गृह देश से बाहर थे और उनमें से लगभग 164 मिलियन के आर्थिक रूप से सक्रिय होने का अनुमान लगाया गया था।

आजीविका ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में विवरण है कि भारत में प्रवासी श्रमिकों की आपूर्तिकर्ता राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश व बिहार है। परम्परागत रूप से इन राज्यों से प्रवास करने वाले श्रमिक प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी होते हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त अनेकों ऐसे कॉरीडोर विकसित हो रहे हैं जहाँ से श्रमशक्ति का पलायन रोजगार हेतु दूसरे राज्यों में हो रहा है। ऐसे राज्यों में उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान व पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य प्रमुख हैं। यह सभी राज्य शारीरिक श्रम करने वाले अकुशल श्रमिकों को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों को जिन क्षेत्रों में रोजगार मिलता है उसमें सर्वाधिक संख्या (लगभग 4 करोड़) निर्माण क्षेत्र की है। इसके पश्चात् घरेलू कार्य (लगभग 2 करोड़), हथकरघा क्षेत्र में (लगभग 1.1 करोड़), ईंट व भट्ठा उद्योग में (लगभग 1 करोड़) तथा शेष लगभग 4 करोड़ श्रमिक यातायात (Transport), खदानों, कृषि क्षेत्र, सुरक्षा, हाउस कीपिंग, ड्राइविंग, होम डिलीवरी आदि में कार्य करते हैं। इन मजदूरों का प्रबन्धन प्रायः निजी ठेकेदारी द्वारा किया जाता है।

भारत में मात्र देश के भीतर ही श्रमिकों का प्रवास या पलायन नहीं हुआ है बल्कि विदेशों में भी पलायन हुआ है। यद्यपि श्रमिकों ने विदेशी प्रवास के ठीक–ठीक आँकड़े प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। इसके अनेक कारण हैं यथा– अभी तक प्रवासी श्रमिक की कोई ऐसी परिभाषा ही नहीं विकसित हो पाई है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वग्राह्य हो। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी व विदेशी प्रवासी श्रमिक (International Migrant and Foreign Migrant Worker) में भिन्नताएँ भी होती है तथा प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी को विदेशी प्रवासी श्रमिक कहना भी कई बार उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से अनेक ऐसे होते हैं जो काम की तलाश में प्रवास नहीं कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जन्म का देश वह नहीं होता है जिसका कि वह नागरिक है। इसी प्रकार यह भी होता है कि विदेश में कार्य करने के बाद व्यक्ति अपने मूल देश में कार्य करने के लिए वापस आ रहा है। अतः हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी व प्रवासी श्रमिक में अन्तर करना पड़ेगा।

इसीलिए विदेशी प्रवासी श्रमिकों का ठीक–ठीक आँकड़ा जुटाना बहुत कठिन है एक आँकड़े के अनुसार 2011–2016 के बीच विदेशों में जाने हेतु जो उत्प्रवास अनापत्ति प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक 31 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से तथा 15 प्रतिशत बिहार,

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 11 June 2020

11 प्रतिशत तमिलनाडु व 10 प्रतिशत केरल से है। इसका आशय यह है कि 67 प्रतिशत अर्थात् दो तिहाई से भी अधिक प्रवासी श्रमिक इन चार राज्यों से ही जाते हैं।

यदि भारत के भीतर प्रवासी श्रमिकों से इसकी तुलना करें तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश व बिहार से तो आन्तरिक प्रवास भी बहुत अधिक है, परन्तु तमिलनाडु व केरल से भारत के भीतर प्रवास उतना नहीं है। भारत के भीतर जिन राज्यों से श्रमिक प्रवास उनमें उत्तर प्रदेश व बिहार के अलावा उड़ीसा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत के अनेकों राज्य सम्मिलित हैं। ऐसे राज्य व महानगर जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देते हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, चण्डीगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि प्रमुख हैं।

श्रमिकों के प्रवास के कारणों का विश्लेषण करें तो अनेकों तथ्य सामने आते हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण कारक हैं (i) दूरी (Distance) एवं (ii) अवधि (Duration)। यदि दूरी के आधार पर देखें तो प्रवास के अधोलिखित प्रकार हो सकते हैं–

(i) अन्तः जनपदीय प्रवास (Intra-District Migration)

(ii) अन्तर जनपदीय प्रवास (Inter-District Migration)

(iii) अन्तः राज्य प्रवास (Intra State Migration)

(iv) अन्तर राज्य प्रवास (Inter-State Migration)

(v) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास (International Migration)

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त में क्रम सं0 (i) से (iv) तक के प्रवास देश के भीतर होने वाला प्रवास है जबकि क्रम संख्या (v) देश के बाहर जाने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित है।

यदि अवधि के दृष्टि से देखें तो प्रवास का अध्ययन तीन श्रेणियों में विभक्त करके किया जा सकता है–

(i) आकस्मिक–आपातकालीन (Casual- Temporary)

(ii) आवधिक–मौसमी (Periodic-Seasonal)

(iii) स्थायी (Permanent)

इस विभाजन से स्पष्ट है कि श्रमिकों के प्रवास के अलग–अलग रुप होते हैं तथा वह अपने मूल स्थान (Source Places) से कितने सम्बद्ध हैं यह उनके प्रवास की अवधि से भी निर्धारित किया जा सकता है।

टोडारो द्वारा विकासशील देशों के श्रमिकों द्वारा प्रवास किए जाने के पीछे की प्रेरणा को दो भागों में विभक्त किया है। (i) आकर्षण (Pullfactor) व (ii) विकर्षण (Push Factor)। यदि स्वयं की ओर आकर्षित करने वाले कारकों के विषय में देखें तो पाएंगें कि नगरीय व महानगरीय जीवन की चकाचौंध, नगरों में बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएँ, नौकरी के अवसरों की तुलनात्मक रूप से अधिकता आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार यदि मूल स्थान से श्रमिक के विकर्षण के कारकों में बेरोजगारी या रोजगार के सीमित अवसर, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग–धन्धों की कमी, जीवन के मूलभूत सुविधाओं का अभाव, आदि प्रमुख हैं। इस दृष्टि से श्रमिकों के प्रवास की आर्थिक व समाजशास्त्रीय दोनों ही तरह से व्याख्या किया जाना आवश्यक है। यदि ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार के अवसर आदि की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जायें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण, यातायात के साधनों की व्यवस्था, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था तथा आधुनिक सुविधा युक्त बाजारों की व्यवस्था कर दी जाए तो श्रमिकों के प्रवास की दर को न्यूनतम किया जा सकता है। एक ओर तो इससे ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों का विकास होगा तो दूसरी ओर मानव सम्पदा का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा। ऐसा करके नगरों व महानगरों के जनाधिक्य को भी रोका जा सकता है।

वर्तमान समय में जब सम्पूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोविड–19 से प्रभावित है तथा इसका प्रभाव वैश्विक व स्थानीय दोनों ही अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बेरोजगारी बढ़ी है तथा अभी और अधिक बढ़ने की सम्भावना भी व्यक्त की जा रही है तो इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों पर पड़ने जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु किए गए लॉकडॉउन की अवधि में प्रवासी श्रमिक व उनके परिवार के सदस्यों को जो त्रासदी झेलनी पड़ी है या पड़ रही है, उसे पूरे देश ने देखा है यह सही है कि आपदा या महामारी की स्थिति में व्यवस्थाएँ चरमरा जाती है, जिसे पटरी पर लौटने में समय लगता है, परन्तु यह भी सही है कि यह समय सचेत होने का है। इस महामारी ने यह दिखा दिया है कि विकास का कोई भी मॉडल जो शहरों, नगरों या महानगरों तक ही सीमित है वह कभी भी फेल हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि विकास का एक समग्र मॉडल विकसित किया जाए जिसमें ग्राम व ग्रामीणों, आदिवासियों व सुदूर क्षेत्रों के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

यह संकट उन राज्यों के लिए भी एक संकेत है जिनके करोड़ो नागरिक रोजगार या यूँ कहें कि अपने दो वक्त के भोजन की व्यवस्था करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर अस्वस्थकर परिस्थितियों में काम करने व रहने के लिए बाध्य हैं। राज्यों को भी अपने नागरिकों को अपने ही मूल स्थान पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी तथा मजदूरों के पलायन को रोकने के ठोस इन्तजाम करने पड़ेंगे। प्रत्येक राज्य व प्रत्येक क्षेत्रों की अपने स्थानीय विशेषताओं, विशिष्टताओं व संसाधनों की

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 11 June 2020

उपलब्धता के आधार पर रोजगार व विकास की नीति बनानी चाहिए ताकि वह अपने नागरिकों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें। जब भी हम ऐसी बात करते हैं और प्रारूप निर्माण व नीति नियोजन पर चर्चा करते हैं तो हमें गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व का ध्यान सबसे पहले आता है।

महात्मा गांधी जी ने हरिजन, यंग इण्डिया, हिन्द स्वराज, मंगल प्रभात आदि में अनेकों स्थानों पर इस दिशा में अनेकों विचार एक शताब्दी पूर्व ही व्यक्त किए थे, परन्तु दुर्भाग्यवश स्वतन्त्र भारत में उसकी प्रायः अनदेखी ही की गयी, परन्तु कोविड–19 नामक महामारी ने न केवल भारत अपितु पूर विश्व को एक बार पुनः गांधी जी के विचारों पर विमर्श करने व उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित ही नहीं बल्कि बाध्य कर दिया है।

हरिजन (20.2.37) के अंक में गांधी जी ने लिखा है कि 'गाँव में जाने वाले किसी नवयुवक को कठिनाइयों से घबराकर कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। नवयुवकों को मेरी सलाह है कि वे अपना प्रयत्न छोड़ न दें, बल्कि उसमें लगे रहे और अपनी उपस्थिति से गाँवों को अधिक साफ–सुथरा बनाकर और अपनी योग्यतानुसार गाँवों की निरक्षरता को दूर करके एक व्यक्ति इसकी शुरुआत कर सकता है। अगर उनके जीवन साफ, सुघड़ और परिश्रमी हों तो इसमें कोई शक नहीं कि जिन गाँवों में वे काम कर रहे होंगे उनमे भी उसकी छूत फैलेगी ओर गाँव वाले भी साफ, सुघड़ और परिश्रमी बनेंगे।

हरिजन के ही 4.4.36 के प्रकाशित अंक में गांधी जी ने लिखा है कि ''भारत चन्द शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गाँवों में बसा हुआ है लेकिन हम शहरवासियों का ख्याल है कि भारत शहरों में ही है और गाँवों का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरा करने के लिए ही हुआ है। हमने कभी यह सोचने की तकलीफ ही नहीं उठाई कि उन गरीबों को पेट भरने के लिए अन्न और शरीर ढँकने को कपड़ा मिलता है या नहीं और धूप तथा वर्षा से बचने के लिए उनके सिर पर छप्पर है या नहीं।''

इसी प्रकार यंग इण्डिया वर्ष 13 अंक 21 में महात्मा जी लिखते हैं कि 'जो मजदूरों को योग्य मेहनताना नहीं देते हैं और उनके परिश्रम का शोषण करते हैं, उनसे वस्तुएँ खरीदना या उन वस्तुओं का उपयोग करना पापपूर्ण है।'

कोरोना संक्रमण से जो समस्याएँ श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आई है उसके निराकरण में गांधी के विचार अभी भी प्रासंगिक लगते हैं। यदि उनके सुझाए हुए आदर्शों का अनुपालन करने का प्रयत्न किया जाए तो भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर किया जासकता है। कोविड–19 के बाद की दुनिया अलग सी होगी तथा इसमें जीने के लिए जिस संयम व अनुशासन की आवश्यकता होगी उसकी चर्चा व प्रयोग बहुत पहले ही गांधी ने करके हमें दिखा दिया था। अब समय है विकास के गांधीवादी स्वरूप को अपनाने की जिससे हर हाथ को काम मिल सके तथा उत्पादन में अधिकाधिक व्यक्तियों की सहभागिता हो सके, शहरों और गाँवों के बीच की दूरी को तथा मजदूर और मालिक के बीच की दूरी को जितना कम किया जा सके उतना ही हम शान्ति व सौहार्द्रपूर्ण समाज की स्थापना कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।

कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडॉउन की अवधि में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अथक प्रयास किया गया तथा इसमें सफलता भी मिली परन्तु इससे जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आई कि प्रवासी श्रमिकों के समस्याओं के समाधान हेतु गम्भीर व रणनीतिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिकों हेतु विभिन्न राज्यों के सरकारों ने पोर्टल विकसित किए हैं जिनके माध्यम से उनका पंजीकरण कराया जा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है परन्तु क्या कोविड–19 महामारी पर नियन्त्रण के बाद प्रवासी श्रमिकों को पुनः उनके हाल पर उसी प्रकार छोड़ दिया जाएगा या राज्य सरकारें उन्हें उनके पैतृक व मूल स्थानों पर ही उनके क्षमता व योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध करा पाएगी ? इसके लिए दीर्घकालिक योजना निर्माण की आवश्यकता है। जिस प्रकार मालिकों द्वारा मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया तथा मजदूर बिना खाए–पिए अपने घरों में बन्द रहने के लिए बाध्य हुए या वे पैदल ही सैकड़ों–हजारों किमी की यात्रा तय करके अपने गन्तव्य तक पहुँचे या कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ गए, निश्चित रूप से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है परन्तु अब पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक राज्य को अपने नागरिकों के लिए न केवल रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए बल्कि मानव सम्पदा के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु उनका कौशल विकास करने का भी उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1- www.ilo.org>topic>labour-migration>long-in
2- http://www.chhyiyaias.com
3- Todaro,M.P. (1969), A Model of labour migration and urban employment in less developed countries, Americal Economic Review, Vol. 59, No.1
4- गांधी मो0क0 (2017) गांधी जी ने कहा था, सस्ता साहित्य मण्डल, प्रकाशन, नई दिल्ली
5- www.ilo.org>documents>publication>wcms_631532
6- migrationdataportal.org/thumes/labour-migration#detinition

 Copyright © 2020 Authors